

LALITPUR POLICE



प्रेस नोट

दिनांक- 22.08.2024

थाना बार पुलिस द्वारा 07 नफर शातिर चोरों को चोरी की 06 अदद मो0सा0 व एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कासतूस (नाजायज) के साथ किया गया गिरफ्तार

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, लितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद लितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी तालबेहट श्री कुलदीप कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में घटना के सफर अनावरण हेतु थाना बार पुलिस थाना बार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2024 अन्तर्गत धारा 379,411,420,467,468,413 भादिव व मु0अ0सं0 176/2024 अन्तर्गत धारा 309(4), 317(2),318(4),338,336(3),317(4) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रकाश में आये अभि0गण 1.जैकी राजा 2.राजदीप 3. सूर्य प्रताप सिंह 4. रानू कुशवाहा 5. प्रदुम्म 6.शिवम सिंह उर्फ छोटू 7.शिश राजा चौहान उर्फ देव राजा को मय चोरी हुई 06 अदद मो0सा0 व 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कासतूस (नाजायज) सिहत ग्राम लडवारी तिराहे से पारौन रोड पर लडवारी गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास स्थित पारौन रोड पर ही बनी पुलिया नं0 19/03 बहद ग्राम लडवारी पर दिनांक 22.08.2024 को समय 03:50 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

घटना का विवरण- वादी मुकदमा श्री रोहित पुत्र कमलेश बुनकर निवासी ग्राम टौरिया थाना बार जिला लिलतपुर की तहरीर पर दिनांक 22.06.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल नं0 UP 94 AD 4997 स्पेलण्डर को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में व वादी श्री शिवम पुत्र स्व0 शिवशंकर निवासी कस्बा व थाना बार जिला लिलतपुर की तहरीर पर दिनांक 26.07.2024अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मो0सा0 न0 UP 94 AF 7183 काले रंग की स्पेलेण्डर प्लस को धोखे से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बार पर तहरीर दी गयीं थीं।

तहरीर के आधार पर थाना बार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटना के सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी तालबेहट के निकट पर्यवेक्षण में टीमे गठित की गयी थी। गठित टीमों के द्वारा विवेचना में साक्ष्य संकलन (मैनुअली व टैक्नीकली), सीसीटीवी कैमरो की मदद से प्रकाश में आये अभियुक्तगण जैकी राजा उपरोक्त आदि 07 नफर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्त जैकी उपरोक्त आदि अभियुक्तगण ने एक राय होकर बताया कि साहब हमारा एक संगठित गिरोह है जिसका मुख्य सदस्य वी.पी. सिंह उर्फ मम्मा पुत्र आर.पी.सिंह निवासी नयाखेडा थाना बबीना जिला झाँसी है। हम लोग उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों व आस- पास के राज्यों में भीड़भाड़ वाले इलाको में रैकी करते रहते हैं और मौका पाकर मोटर साईकिले चुरा लेते हैं फिर उन चोरी की मोटर साईकिलो को कुछ दिनों तक छिपा कर रखते हैं और बाद में मौका पाकर म0प्र0 व अन्य राज्यों में बेंच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं और उस मुनाफे को हम आपस में बांट लेते हैं तथा उन्हीं रूपयों से हम अपने ऐश- आराम की शौक व जरूरतों को पूरा करते हैं। चोरी की गयी मोटर साईकिलों की पहचान छिपाने के लिये हम लोग उनकी नम्बर प्लेट को कूटरचित करके उनका उपयोग चोरी तथा लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिये करते हैं जिससे कि यदि कैमरों में हमारी मो0सा0 का नम्बर प्रकाश में आये तो उसके आधार पर पुलिस को मो0सा0 के वास्तविक स्वामी की जानकारी न हो सके और हम लोग भी पुलिस से बच सके। अभियुक्तों ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले हमने ग्राम टौरिया से एक मो0सा0 स्पेलेन्डर चोरी की थी और उसके कुछ दिन बाद ग्राम चिगलौआ से हमने एक मो0सा0 तथा एक मो0सा0 सीटी 100 थाना जखौरा क्षेत्र से चोरी की थी। हम इन सभी चोरी की मो0सा0 को हम लोगों ने पारौन ग्राम में जंगल में छिपा रखा था और बेचने की फिराक में थे कि आप लोगों ने हमे पकड़ लिया। साहब हमसे गलती हो गयी, हम लोगों को मांफ कर दीजिये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.जैकी राजा पुत्र गोपाल सिंह निवासी बरीकला थाना तालबेहट जिला ललितपुर उम्र करीब 22 वर्ष
- 2.राजदीप S/O जयपाल सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना तालबेहट जिला ललितपुर उम्र करीब 23 वर्ष
- 3. सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जगभान सिंह निवासी ग्राम बौलारी थाना तालबेहट जिला ललितपुर उम्र करीब 19 वर्ष
- 4. रानू कुशवाहा पुत्र सुदामा कुशवाहा निवासी ग्राम बरीकला थाना तालबेहट जिला ललितपुर उम्र करीब 20 वर्ष
- 5. प्रदुम्म S/O वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिर्चवारा थाना बार जिला ललितपुर उम्र करीब 24 वर्ष
- 6.शिवम सिंह उर्फ छोटू पुत्र इमरत सिंह निवासी ग्राम मिर्चवारा थाना बार जिला ललितपुर उम्र करीब 24 वर्ष
- 7.शिश राजा चौहान उर्फ देव राजा पुत्र बब्लू राजा निवासी ग्राम बम्हारी थाना करेरा जिला शिवपुरी म0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 480 रूपये व 06 अदद मोटर साइकिले-

- 1. पलसर रंग काली जिसकानं0 UP93M6326 चेचिस नं0 MD2B68BX8RPB36118
- 2. पलसर रंग लाल जिस पर up93L8007 चेचिस नं0 MD2B68BX6PWG14457
- 3. पलसर नं0 UP93A7227 चेचिस नं0 TAD2B68BX5PPG34614
- 4. स्पेलन्डर जिसका नं0 Up 94AD4997 चेचिस नं0 MBLHAW124NHMA7133
- 5. स्पेलेन्डर नं0 up94AF7183 चेचिस नं0 MBLHAW239R9B08395
- 6. मोटर साइकिल नं0 UP94P6167 CT100 चेचिस नं0 MO2A18A27FPJ41588

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री राजा दिनेश सिंह थाना बार जनपद ललितपुर मय टीम।